ऑनलाइन प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में करें : सुरेश

नवभारत न्यूज

पन्ना,25 अगस्त। कलेक्टर सुरेश कुमार ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई साप्ताहिक समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आगामी 28 अगस्त को प्रस्तावित समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के दृष्टिगत विभागवार चयनित शिकायतों का अनिवार्य रूप से 2 दिवस में शत प्रतिशत निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।

टीएल बैठक में विभागीय अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ 100 दिवस से अधिक समयावधि की लंबित समस्याओं के निराकरण और शासन की अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं व कार्यक्रम में भी समय सीमा में अपेक्षित कार्यवाही के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने विशेष रूप से राजस्व विभाग अंतर्गत दो दिवस में शिकायत का निराकरण अपेक्षा अनुरूप न होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी भी दी। उन्होंने रैपुरा, सिमरिया और अमानगंज तहसील में अधिक संख्या में राजस्व प्रकरण लंबित होने पर नाराजगी जताई। कलेक्टर ने कहा कि प्रत्येक शिकायतकर्ता से संवाद कर अभियान मोड में पुरानी एवं वर्तमान माह की शिकायत निराकृत कराएं। इसके अलावा विभाग स्तर पर अधिक संख्या में लंबित मामलों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से अधिकारियों को शासकीय कार्य संपादन के लिए अपना कार्य समय बढ़ाने की सलाह भी दी। चयनित विभागों की चिन्हांकित योजनाओं में प्रगति बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए, जिससे जिले की रैंक में निरंतर सुधार परिलक्षित हो।

31 अगस्त को आ सकते है मुख्यमंत्री डॉ. यादवः- कलेक्टर ने टीएल बैठक में अवगत कराया कि रविवार, 31 अगस्त को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का नगर के श्री जुगल किशोर मंदिर में राधा अष्टमी पर्व के अवसर पर आयोजित रासलीला कार्यक्रम में शामिल होना संभावित है। इस संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों को 5 दिवसीय रासलीला कार्यक्रम के लिए आवश्यक कार्यवाही एवं तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में यूरिया के अग्रिम भंडारण की कार्यवाही सहित मांग अनुरूप निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में भी चर्चा की गई। ई-ऑफिस परियोजना के क्रियान्वयन में पिछड़े आरटीओ और मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी सहित जनपद पंचायत सीईओ को तत्काल ईएमडी जानकारी प्रेषित करने के निर्देश दिए। रेलवे लाइन परियोजना के तहत कुछ बकायादारों को मुआवजा राशि के तत्काल भुगतान, वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टों के आवेदनों के परीक्षण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवेदनों की पात्रता संबंधी जांच इत्यादि के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिला पंचायत सीईओ उमराव सिंह मरावी, एसडीएम संजय कुमार नागवंशी सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन पर सुनिश्चित हो कार्यवाही

कलेक्टर श्री कुमार ने कहा कि गत 23 अगस्त को कल्दा में आयोजित वृहद स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर में प्राप्त प्रत्येक शिकायत पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। हर आवेदन पर पात्रता और अपात्रता के आधार पर अनिवार्य रूप से एक सप्ताह में इनका निराकरण किया जाए। अपात्रता की स्थिति में आवेदक को लिखित में सूचित करने के निर्देश भी दिए। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित वित्तीय साक्षरता शिविरों के संबंध में आवश्यक समन्वय सहित धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत चिन्हित 108 ग्रामों में शत प्रतिशत सेचुरेशन के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करने के लिए कहा। कलेक्टर ने कहा कि एमएलसी और पीएम रिपोर्ट भी समय सीमा में पोर्टल पर अपलोड कराई जाए। एसडीएम की सहभागिता से जिले के अन्य स्थानों पर संचालित पोषण पुनर्वास केंद्रों में भी न्यूट्री बॉस्केट के वितरण के लिए जरूरी समन्वय करें तथा किसी भी स्थिति में एनआरसी में बेड की रिक्तता न रखने के लिए कहा। टीएल बैठक में विभिन्न विभागों की स्वरोजगार योजनाओं में प्रकरणों की स्वीकृति, सबमिशन और वितरण की समीक्षा की गई।

छत्रसाल महाविद्यालय में गणेश माटी सिद्ध गणेश कार्यक्रम आयोजित

नवभारत न्यूज

पन्ना, 25 अगस्त। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार प्रकृति और पर्यावरण को संरक्षण करने के दृष्टिकोण से माटी गणेश सिद्ध गणेश अभियान के तहत छत्रसाल महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ एस डी चतुर्वेदी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न किया गया।

डॉ चतुर्वेदी ने विद्यार्थियों को कहा कि हमें भारतीय संस्कृति की परंपरा अनुसार गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाना है, परंतु प्रकृति संरक्षण के दृष्टिकोण से सभी विद्यार्थी मिट्टी से बनी प्रतिमा विराजमान करें। पूजा अर्चना करने के उपरांत विसर्जन घर के गमले में कर एक पौधा लगाए और प्रकृति संरक्षण की दिशा में एक और कदम बढ़ाए। डॉ डीपी कुशवाहा ने सभी विद्यार्थियों को प्रकृति के साथ जुड़कर गणेश उत्सव मनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम की संयोजक डॉ पियूषा शर्मा ने सभी विद्यार्थियों को गणेश उत्सव की बधाई दी और कहा कि सभी विद्यार्थी स्वयं मिटटी की गणेश प्रतिमा बनाएं और उसका पूजन कर पर्यावरण अनुकूल विसर्जित करें।

मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मिली स्वीकृति

पन्ना में भी आयोजित हुआ कार्यक्रम

नवभारत न्यूज

पन्ना, 25 अगस्त। आज दिनांक 25 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सांस्कृतिक सूचना केन्द्र में मध्यप्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा देने वाले ऐतिहासिक निर्णयों और जनहितैषी पहल का शुभारंभ किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल की गरिमामय उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में पन्ना जिले में पीपीपी मॉडल पर चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इसके उपलक्ष्य मे पन्ना जिला मुख्यालय मे भी कलेक्टर पन्ना द्वारा जिला स्तरीय कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया इसके अलावा वरिष्ठ नागरिकों के लिए वय वंदना कार्ड वितरण किए गए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर पी तिवारी एवं जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉ डी.के. गुप्ता द्वारा मातृ-शिशु सुरक्षा को सुदृढ़ करने वाली योजनाएँ और डिजिटल नवाचार के रूप में स्मार्ट चैटबॉट आयुष्मान सखी की जानकारी दी। कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ डी पी प्रजापति, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ प्रवीण द्विवेदी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ अजहर अली, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ताओं, आम नागरिकों की उपस्थिति रही।

पहली ही बारिश में बह गई पटनाकला बांध से बनी नहर

पन्ना 25 अगस्त। जिले के पटनाकला बांध से बनाई जा रही नहर पहली ही बारिश में कई स्थानों पर बह गई है और कई हिस्सों में गंभीर क्षति पहुंची है। जिसके घटिया निर्माण को लेकर स्थानीय किसानों द्वारा पहले ही चेतावनी दी गई थी। घटिया निर्माण को लेकर समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित की गई थी लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। बताया जाता है कि ग्राम पटनाकला, करिया और आसपास के क्षेत्रों में नहर के सीसी स्लैब कई स्थानों पर टूट चुके हैं नहर के किनारे मिट्टी के कटाव से खेतों में पानी भर गया है, जिससे फसलों को नुकसान होने लगा है।

जहां पानी की कमी थी वहां अब जलभरावः- जिन खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा था वहां जलभराव की स्थिति बन गई है। किसानों का कहना हैं कि ठेकेदार ने निर्माण मे इतनी घटिया सामग्री का उपयोग किया है।

1200 वर्गफिट के सामुदायिक भवन में पंचायत ने लगाया 1500 बोरी सीमेंट

पूरा खेल चल रहा है जनपद और जिला पंचायत के अधिकारियों के संरक्षण में

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 अगस्त। रैपुरा पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार एक और हैरान करने वाले मामले ने जनपद और जिला पंचायत के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर दिया है। रैपुरा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मनकौरा में 1231 वर्गफीट से कम के सामुदायिक भवन के निर्माण में 1550 बोरी सीमेंट का बिल लगाकर राशि आहरित कर ली गई। हैरानी की बात यह है कि इतनी सीमेंट भी कम पड़ गई है, क्योंकि अभी भवन का स्लैप नहीं पड़ा है।

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भवन के निर्माण में सीमित मात्रा में सामग्री की आवश्यकता थी, वहां पर अधिक मात्रा सीमेंट दिखाकर सरकारी राशि का दुरूपयोग किया गया है। पंचायत द्वारा दो ट्रक से अधिक सीमेंट, हमारे पास मिले बिलों के अनुसार 1550 बोरी उपयोग दर्शाया गया है। जो संदेह के घेरे मे हैं।

जंप और जिंप के अफसरों की मिलीभगतः- पंचायत सचिव, रोजगार सहायक और जनपद स्तर के अधिकारी कोई ठोस जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जनपद और जिला पंचायत के अफसर जानकारी होने के बाद भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। यह पूरा खेल जनपद और जिला पंचायत के अधिकारियों के संरक्षण में चल रहा है।

जिपं सीईओ बोले- बिल भेजिए देखते हैंः- जिला पंचायत सीईओ के संज्ञान में मामला लगाया गया तो बोले हमें बिल भेजिए हम देखते हैं। जब ढाई लाख से अधिक के लिए विभाग द्वारा निविदाएं न निकालने के संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पंचायतें इनसे बाहर हैं। जब नियम का हवाला दिया गया तो उन्होंने कॉल काट कर बात बंद कर दी।

भंडार गृह तथा सेवा उपार्जन नियम का उल्लंघन

सन 2015 में पारित मध्यप्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 संशोधित 2022 के तहत ढाई लाख रूपये से अधिक के क्रय पर खुली निवेदिता जारी करना अनिवार्य है। जबकि पंचायतें बडे बडे निर्माण के लिए न तो कोई निवेदिता निकालती है न ही निवेदिता तथ्य नियमों का पालन करती है।

नियम विरुद्ध खरीदी

पंचायत दर्पण पर मौजूद जानकारी के अनुसार 1550 बोरी सीमेंट एक ही वेंडर से खरीदी गई जिसका बिल भुगतान पांच लाख छत्तीस हजार पांच सौ रूपये के बिल लगाए गए। पंद्रह लाख के सामुदायिक भवन मे 35 प्रतिशत पैसा सिर्फसीमेंट में खर्च किया गया। जिसमें 8 अप्रैल 2025 को तीन बिलों में एक लाख छ्यालीस हजार नौर सौ रूपये तो वहीं 03 अप्रैल को एक ही दिन में नौ बिल लगाकर पांच लाख चौबीस हजार रूपये निकाले गये हैं। जो कि मध्यप्रदेश भंडार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का उल्लंघन हैं।

माध्य . शाला द्वारी में हुआ साइकिलों का वितरण

नवभारत न्यूज

गुनौर/पन्ना 25 अगस्त। विकासखंड गुनौर अंतर्गत शासकीय माध्यमिक कन्या शाला द्वारी में मध्यप्रदेश शासन की योजनानुसार ऐसे छात्र छात्राएं जिनके गांव में माध्यमिक विद्यालय एवं हाई स्कूल नहीं है उन्हें अपने घर से विद्यालय आने-जाने के लिए साइकिल निःशुल्क दी जाती है।

उसी तारतम्य में माध्यमिक शाला द्वारी में विगत दिनों समारोह पूर्वक ग्राम पंचायत के सरपंच नाथूराम लुहरहा की अध्यक्षता में पात्र छात्राओं को साइकिल वितरण किया गया। साइकिल वितरण के अवसर पर जन शिक्षा केन्द्र प्रभारी राजेंद्र कुमार त्रिवेदी, जनपद शिक्षा केंद्र गुनौर से शैक्षिक संवाद में उपस्थित विकासखंड अकादमिक समन्वयक राजू मिश्रा, जन शिक्षक मूलचंद विश्वकर्मा, विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सीमा खरे सहित विद्यालय का स्टाप, गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। साइकिल प्राप्त कर छात्राओं में खुशी की लहर देखी गई।

आगामी पर्व को लेकर थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक

नवभारत न्यूज

अजयगढ़/पन्ना 25 अगस्त। आगामी पर्वों को लेकर थाना परिसर अजयगढ़ में एसडीएम आलोक मार्को की अध्यक्षता में एसडीओपी राजीव सिंह भदोरिया, सीएमओ राजेंद्र सिंह की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें एसडीओपी राजीव सिंह भदोरिया ने कहा गणेश चतुर्थी का पर्व परम्परा के मुताबिक मनाया जाए।

गणेश जी की बैठकी की एवं विसर्जन के बारे में विस्तार से चर्चा की विसर्जन स्थल मझगाय नहर खोह तालाब मे पर्याप्त विद्युत व्यवस्था रहे वहां पर एक्सपर्ट तैराक तैनात रहे एवं गहरे पानी में विसर्जन करने ना जाए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाएं सभी पंडाल में विद्युत कनेक्शन करवाया जाए खुले नंगे तार में विद्युत सजावट ना की जाए पंडाल पर रात्रि विश्राम में समिति के सदस्य रुके। 5 सितंबर को ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला जाएगा जो जामा मस्जिद अजयगढ़ से नूरी मस्जिद से शांति नगर से डंकी मोहल्ला दे प्रारंभ होंगे सभी लोग हजरत रमजान शाह बाबा की मजार पर पहुंचेंगे वहां से मुख्य समारोह जुलूस के रूप में जयस्तंभ चौक छोटे बस स्टैंड पुरानी तहसील खोया मोहल्ला सिकलीगर मोहल्ला महेश्वरी माता मंदिर से होते हुए हजरत रमजान शाह बाबा की मजार में फातिहा के साथ समाप्त होगा। एसडीएम ने कहा कि अपने-अपने पर्व सभी लोग अपनी रीति रिवाज एवं परंपरा से मनाए किसी भी धार्मिक आयोजन में अशांति फैलाने वालों पर प्रशासन की पूरी नजर रहेगी सभी लोग अपने पर्व मिलजुल कर भाईचारे के साथ मनाए बैठक में अधिकारी कर्मचारी शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

बीपीएल कार्ड : नगरपालिका में मची लूट

पात्र भटक रहे अपात्र ले रहे फायदा

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 अगस्त। शासन के द्वारा गरीबी रेखा राशन कार्ड जारी करने के लिये चाहे जो भी मापदंड को धता बताते हुए बीपीएल राशन कार्ड बनाने मे नगरपालिका अमले द्वारा अवैध वसूली का धंधा इन दिनों जोरों पर चल रहा है और जनचर्चा विषय है बना हुआ है। वहीं जो इसके असली हकदार ही है। पैसे न दे पाने के कारण उनके आवेदन निरस्त कर दिये जाते हैं।

जानकारी के अनुसार नगर पालिका पन्ना में राशन कार्ड का फर्जीवाडा जमकर हो रहा है और शासन की इस योजना को नगर पालिका के कर्मचारियों ने अपनी जेबे भरने का जरिया बना रखा है। जिसके तहत ऐसे व्यक्तियों के नाम पर राशन कार्ड जारी कर दिए जा रहे हैं। जो नियमनुसार इसके हकदार नहीं है वास्तव में इसके हकदार कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। इसके बाद भी उनका नाम उक्त सूची में नहीं आ रहा है। शासन ने इस मंशा के तहत गरीबी रेखा कार्ड जारी करने का निणर्य लिया कि जिन व्यक्तियों के पास न तो रोजगार है और नहीं परिवार में भरण पोषण का कोई अन्य जरिया वह भूखों न मरे और उसे सस्ते दाम पर अनाज के साथ अन्य सुविधाएं मिल सकें लेकिन इसके ठीक विपरीत नगर के कोयला कर्मचारियों, व्यावसायियों व रसूखदार राजनैतिक व्यक्तियों के परिजनों के नाम पर यहां राशन कार्ड बनाए जा रहे है जा रहे हैं जो इसके तहत गरीबों को मिलने वाली सारी सुख सुविधाओं का उपयोग व उपभोग कर रहे हैं।

जांच से मच सकता है हड़कंप

जिस तरह से छग शासन द्वारा प्रत्येक जिले में पूरे प्रदेश स्तर पर गरीबी रेखा राशन कार्ड धारकों की जांच कर अपात्र लोगों के राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए उसी तरह यदि पन्ना नपा में भी इसकी जांच शुरू कर दी जाय तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ सकते हैं वहीं फर्जी व्यक्तियों के राशन कार्ड निरस्त होने से वास्तविक गरीबों को इसका लाभ मिल पाएगा।

चार माह में देवेंद्रनगर तक 20 किमी . का बिछेगा ट्रेक, 2027 तक पन्ना-सतना रेल सेवा हो सकती है शुरू

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 अगस्त। बघेलखंड बुंदेलखंड को रेल मार्ग से जोडने वाली नई रेल लाइन परियोजना अब रफ्तार पकडती दिख रही है। बरेठिया से नागौद के बीच ट्रेक बिछाने का काम लगभग पूरा हो रहा है।

परियोजना से जुडे वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के अनुसार बरेठिया से नागौद के बीच सितम्बर माह में रेल संरक्षा आयुक्त का स्पीड ट्रायल होगा। वहीं दिसम्बर माह तक नागौद से देवेंद्रनगर तक ट्रेक तैयार करने टारगेट निर्धारित किया गया है। टनल का काम भी इसी साल पूरा हो जाएगा। बताया गया साल 2026 खत्म होते होते पन्ना तक रेल लाइन बिछ जाएगी। रेलवे के लक्ष्य के अनुसार 2027 तक सतना पन्ना नई रेल लाइन पूरी परियोजना को धरातल पर लाकर ट्रेन संचालन को गति देना है।

टनल का काम शुरूः- देवेंद्रनगर से पन्ना के बीच रेल लाइन के बीच 300 मीटर की टनल तैयार होगी। बताया कि टनल का कार्य सतना की तरफसे शुरू करवा दिया गया है। अक्टूबर माह तक में टनल का कार्य पूरा हो जाएगा। 33 करोड की लागत से सुरंग तैयार होगी।

6 साल पहले हुआ था शिलान्यासः- सतना पन रेल लाइन का शिलान्यास 19 जनवरी 2018 में किया गया था। बताया गया कि भू- अधिग्रहण के चलते परियोजना काफी लेट हुई है। हालांकि कोरोना काल में लॉकडाउन के समय परियोजना का काम बंद हो गया था। और ठेका कंपनियां भाग खडी हुइ थी। रेलवे को इस परियोजना के कार्य के लिए दूसरी बार टेंडर प्रक्रिया करनी पडी थी।

18 किमी . की परियोजना तैयार

सतना पन्ना नई रेल लाइन परियोजना कुल 73 .55 किमी की है। जिसमें अभी तक प्रथम चरण में सतना से बरेठिया 18 किमी की लाइन तैयार कर सीआरएस ट्रायल किया जा चुका है। रेलवे का अब अगला टारगेट बेठिया से नागौद तक ट्रेक तैयार करना है। बताया गया है कि बरेठिया से नागौद नदी के बीच ट्रेक तैयार हो गया है नदी से नागौद स्टेशन तक जुलाई माह के अंत तक मे ही पटरी बिछा ली जाएगी।

गणेश चतुर्थी पर पन्ना जिले में रहेगा स्थानीय अवकाश

पन्ना 25 अगस्त। कलेक्टर सुरेश कुमार द्वारा वर्ष 2025 के लिए पन्ना जिले में तीन स्थानीय अवकाश पूर्व में घोषित किए गए थे।

इस क्रम में बुधवार, 27 अगस्त को जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। इस दौरान म.प्र. शासन के शासकीय कार्यालय एवं संस्थाएं बंद रहेंगी। स्थानीय अवकाश कोषालय एवं उप कोषालय पर लागू नहीं होगा।

आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज

अमानगंज/पन्ना 25 अगस्त। पुलिस थाना परिसर में थाना प्रभारी माधवी अग्निहोत्री के द्वारा आगामी त्यौहारों को लेकर शांति शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हिन्दू -मुस्लिम दोनों समुदायों की मौजूदगी में गणेशोत्सव और ईद मिलादुन्नबी त्योहारों को लेकर चर्चा हुई।

जिसमें थाना प्रभारी ने कहा कि गणेश उत्सव समिति के आयोजक पंडाल को खाली न छोड़े एक व्यक्ति अनिवार्य रूप से पंडाल में पूरे समय रहे और सभी गणेश उत्सव आयोजन समितियो द्वारा अस्थाई विद्युत कनेक्शन एवं प्रशासनिक अनुमतियां अवश्य ली जाएं। जिससे किसी भी अप्रिय दुर्घटना होने पर परेशानी ना हो। बैठक में तहसीलदार ममता मिश्रा सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी- कर्मचारी और जनप्रतिनिधि, हिंदू- मुस्लिम समुदायों के गणमान्य नागरिक एवं पत्रकारों की मौजूदगी रही।

बिना पंजीयन खाद्य कारोबारी कर रहे कारोबार

विभागीय संरक्षण के चलते कौन करे कार्यवाही, 50 हजार से लेकर 2 लाख तक के जुर्माने का है प्रावधान

नवभारत न्यूज

पन्ना 25 अगस्त।आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग मप्र भोपाल द्वारा खाद्य पदार्थ के वितरण, विक्रय, निर्माण से संबंधित संलग्न संस्थाओं के लायसेंस व पंजीयन की अनिवार्यता का निर्धारण किया गया था। किंतु जिले में बिना पंजियन का कारोबार चल रहा है। विभाग के द्वारा कार्रवाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है।

बताते चलें कि शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यदि खाद्य कारोबारियों द्वारा अपने कारोबार का लायसेंस अथवा पंजीयन नहीं कराया गया तो छोटे कारोबारियों पर पचास हजार से 2 लाख तक जुर्माना तथा बड़े कारोबारियों पर 50 हजार से 5 लाख रूपए तक जुर्माना और 6 माह तक के कारावास का प्रावधान रखा गया है। किंतु प्रशासन का यह नियम सिर्फ कागज तक ही सिमट कर रह गया है। कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मन के पत्र क्रमांक 3/खाद्य / 2/34/ 2013/98 भोपाल के तहत समस्त विभागाध्यक्षों को खाद्य पदार्थ के वितरण, विक्रय, निर्माण से संबंधित संलग्न संस्थाओं के लायसेंस रजिस्ट्रेशन के अनिवार्यता संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा नियमित खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 प्रदेश सहित पूरे देश में 6 अगस्त 2011 से लागू किया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य आम जन को शुद्ध एवं स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को सुनिश्चित कराया जाना है। इसके अंतर्गत प्राथमिक खाद्य आनुवांशिक रूप से उपांतरित या निर्मित खाद्य या ऐसे संघटकों से युक्त खाद्य, शिशु खाद्य, पैक किया गया, पीने का जल, अल्कोहली पेय तथा कोई अन्य खाद्य पदार्थ का कारोबार चाहे वह लाभ के लिए किया जाए या नहीं और वह चाहे सार्वजनिक हो या प्राइवेट जो खाद्य के विनिर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण, आयात के किसी प्रकरम से संबंधित क्रिया कलापों में से कोई क्रियाकलाप कर रहा है और इसके अंतर्गत खाद्य सेवाएं, जलपान सेवाएं, खाद्य या खाद्य संघटकों का विक्रय को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 31 के अंतर्गत खाद्य एवं औषधि प्रशासन से लायसेंस व पंजीयन लेना आवश्यक है।

जिले में हैं सैकड़ों खाद्य कारोबारी

शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के के विरूद्ध जिले में सैंकड़ों खाद्य दुकाने संचालित हैं। खाद्य एवं औषधि विभाग को दुकानों के लायसेंस / पंजीयन हेतु लक्ष्य भी दिया गया था। किंतु न तो विभाग के द्वारा सक्रियता दिखाई गई और नहीं कारोबारी पंजीयन के लिए आगे आए। खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन मन द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं पंजीयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के तहत खाद्य करोबारियों को कार्यालय उप संचालक खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन सीएमएचओ आफ्सि के साथ ही आनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा दी गई है। इसके तहत खाद्य कारोबारी एमपी आनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन कर लायसेंस व पंजीयन करवा सकते हैं।